| आदेश | कार्यवाही विवरण |
|---|---|
| 6 पाग | पत्रावली पेश हुई। आवेदक एवं वकील आवेदक को बार-बार एक-एक कर आवाज लगवाई गई, परन्तु इनमें से कोई भी उपस्थित न्यायालय नहीं होने से जाहिर होता है कि आवेदक को अपने प्रकरण में कोई रुचि नहीं है अतः प्रकरण अदम पैरवी एवं अदम पैरवी में इसी स्तर पर खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर कार्यालय से कम हो तथा बाद तकमील अपना दाखिल दफ्तर हो। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया। |

उ.सी.ई.एम. (फा.टू.)
नवलगढ़

Signature Not Verified

Digitally signed by Damyanti Kanwar
Date: 2022.01.31 16:19:30 IST
Reason: SelfAttested